# न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –33/2018

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोडेण्ट्स |
|---|---|---|
| श्रवणराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी पांचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर | | 1. तहसीलदार खींवसर जिला नागौर<br>2. पटवारी हल्का पांचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर<br>3. आसूराम पुत्र पेमाराम जाति जाट<br>4. रामूराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी पांचौडी तहसील खींवसर जिला नागौर |

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 15-11-2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत मुकदमा नम्बर 311/2017 सरकार बनाम श्रवणराम वगैरह अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में तहसीलदार, खींवसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.02.2018 को प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज़ मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी की ओर से उक्त उनवान की एक अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है जो मजबूत कानूनी बिनाय पर है। प्रकरण में निर्धारित दिनांक 20.12.2017 को अपीलार्थी के पिता पेमाराम उपस्थित हुए जिन्होने जवाब हेतु समय चाहा परन्तु उसी दिन जवाब का अवसर दिये बिना ही दिनांक 20.12.2017 को निर्णय पारित करते हुए बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी क्योंकि अपीलार्थी तो इसी विश्वास में था कि जवाब हेतु समय दिया गया है परन्तु अभी दिनांक 09.02.2018 को पटवारी हल्का ने मौका पर आकर अतिक्रमण हटाने का कहा अन्यथा पुलिस इमदाद के जरिये हटाने का कहा तब अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार का आदेश नहीं होने का बताया तो पटवारी हल्का द्वारा बेदखली



कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

आदेश पारित होने की जानकारी दी तब अपीलार्थी दिनांक 12.02.2018 को तहसील खींवसर में उपस्थित होकर नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 12.02.2018 को तैयार होकर सांय प्राप्त हुई तत्पश्चात् दिनांक 13.02.2018 को अवकाश होने के कारण यह अपील दिनांक 14.02.2018 को पेश की है, जो जानकारी से अन्दर मयाद पेश है फिर भी हुई देरी को कन्डोन किया जाना उचित एंव न्याय संगत होने का कथन करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार माने जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट राजपैरोकार ने स्वंय की बहस में अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का पांचौडी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की श्रवणराम, आसूराम व रामूराम ने मौजा पांचौडी के खसरा नम्बर 753 पर ढाबा लोहे के टीन व पत्थर का किचन स्टेण्ड बनाकर गैर मुमकिन सडक पर 15 बिस्वांशी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर अपीलार्थी व प्रत्यथी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एक प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का दर्ज किया गया व नोटिस जारी किया जिस पर निर्धारित दिनांक 20.12.2017 को अपीलार्थी के पिता पेमाराम उपस्थित हुए जिन्होने जवाब हेतु समय चाहा परन्तु उसी दिन जवाब का अवसर दिये बिना ही दिनांक 20.12.2017 को निर्णय पारित करते हुए बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी क्योकि अपीलार्थी तो इसी विश्वास में था कि जवाब हेतु समय दिया गया है परन्तु अभी दिनांक 09.02.2018 को पटवारी हल्का ने मौका पर आकर अतिक्रमण हटाने को कहा अन्यथा पुलिस इमदाद के जरिये हटाने को कहा तब अपीलार्थी ने किसी भी प्रकार का आदेश नहीं होने का बताया तो पटवारी हल्का द्वारा बेदखली आदेश पारित होने की जानकारी दी।

निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। उक्त प्रकरण में 3 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करना बताया गया है तथा तीनों का नोटिस भी एक ही जारी किया है जबकि विधि अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कब्जा होता है तथा प्रत्येक गैर सायल को पृथक पृथक नोटिस दिया जाना भी आवश्यक है जो विधि का आज्ञापक प्रावधान है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही आदेश पारित किया है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही ही विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर की गई है इसलिए भी अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को समुचित साक्ष्य सुनवाई का किसी भी प्रकार का कोई अवसर नही दिया व गलत रूप से बिना सुनवाई जवाब देही व साक्ष्य का अवसर दिये विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो निर्णय के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों एंव न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक छपा छपाया प्रफोर्मो है जिसमें रिक्त स्थान हाथ से भरे गये है जो एक साईकिलोस्टाइडल प्रपत्र है जो एक वैध निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को अपना माइन्ड अप्लाई करते हुए निर्णय पारित करना



Scanned by CamScanner

चाहिए था जो नहीं किया है तथा गलत रूप से साइकलोस्टाइल में निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त होने योग्य है। विवादित जायगा खसरा नम्बर 753 में नहीं आती है बल्कि इसी जायगा के संबंध में पूर्व में अपीलार्थी के पिता पेमाराम के विरूद्ध प्रकरण संख्या 398/2011 दर्ज किया गया जिसमें खसरा नम्बर 586 गैर मुमकिन सडक व खसरा नम्बर 588/1159 पटवारघर व पंचायत भवन की भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है वस्तुस्थिति तो यही है कि दोनो प्रकरणों की विवादित भूमि समान है जिस पर पूर्व में अलग खसरा नम्बर व वर्तमान प्रकरण में अलग खसरा नम्बर बताये गये है पूर्व में कब्जा अपीलार्थी के पिता का होना बताया गया जिसमें बेदखली आदेश पारित किया गया था जिस पर अपीलार्थी के पिता ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई 30 दिन के भीतर अतिक्रमण करने के संबंध में सीमा ज्ञान करवाया जाकर बेदखली की कार्यवाही की जावे तथा उक्त कार्यवाही अपीलार्थी पेमाराम द्वारा दायर दिवानी वाद में होने वाले निर्णय के अध्ययधीन होगी का निर्णय पारित किया था उक्त जायगा के संबंध में अपीलार्थी के पिता द्वारा पेश किया गया दीवानी वाद आज दिन भी विचाराधीन है अपीलार्थी के पिता पेमाराम ने माननीय न्यायालय के आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के यहां अपील पेश की जिसमें राजस्व अपील अधिकारी नागौर द्वारा विवादित आराजी के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने व उसमें पारित निर्णय का प्रभाव उक्त निर्णयों पर प्रभावी होना व सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने तक उक्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की कार्यवाही प्रभावी नहीं होगी का निष्कर्ष देते हुए सिविल न्यायालय के फैसले तक निर्णय दिया जाना उचित नहीं मानते हुए अपील में निर्णय पारित किया है। इस प्रकार से उक्त भूमि के संबंध में दीवानी वाद विचाराधीन है जिसके विचारण तक किसी प्रकार की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। दीवानी वाद में विवादग्रस्त जायगा व अपीलाधीन निर्णय की जायगा एक ही है इसलिए दीवानी वाद के निस्तारण तक उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी फिर भी उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा सकती थी फिर भी उक्त तथ्यों के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी तहसीलदार खींवसर ने गलत रुप से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.12.2017 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में आर.आर.डी. अक्टू.2002 पेज 583, आर.आर.डी. जून 2002 पेज 324 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा ग्राम पांचोड़ी के खसरा नम्बर 753 रकबा 0.00.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन सड़क की भूमि पर ढ़ाबा लोहे के टीन, व पत्थर का किचन स्टेण्ड बनाकर अतिक्रमण किया है।

पूर्व में अपीलान्ट के पिता पेमाराम के विरूद्ध प्रकरण संख्या 398/2011 दर्ज किया गया एवं जिसमें खसरा नम्बर 586 गै.मु. सड़क व खसरा नम्बर 588/1159 पटवार घर की भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है, परन्तु वर्तमान प्रकरण एवं उक्त प्रकरण दोनों प्रकरणों की विवादित भूमि समान ही है तथा पूर्व के प्रकरण संख्या 398/2011 के संबंध में अपील संख्या 31/2012 पेमाराम बनाम राज. सरकार में राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.4.2015 के द्वारा



Scanned by CamScanner

विवादित आराजी के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने व उसमें पारित निर्णय का प्रभाव उक्त निर्णयों पर प्रभावी होना व सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने तक उक्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की कार्यवाही प्रभावी नहीं होगी का निष्कर्ष देते हुए सिविल न्यायालय के फैसले तक निर्णय दिया जाना उचित नहीं मानते हुए अपील में निर्णय पारित किया है, इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय जैर अपील को अपास्त करने का वकील अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है।

उक्त संबंध में पूर्व का प्रकरण संख्या 398/2011 खसरा नम्बर 586 गै.मु. सड़क व खसरा नम्बर 588/1159 पटवार घर की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित था तथा वर्तमान प्रकरण के खसरा नम्बर 753 पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है। इससे स्पष्ट है कि अतिक्रमण से संबंधित वादग्रस्त भूमि समान नहीं होकर अलग–अलग है। इसके अतिरिक्त वकील अपीलान्ट ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि पूर्व के प्रकरण एवं वर्तमान प्रकरण की वादग्रस्त भूमि समान हो। इसके अलावा अपीलान्ट का पिता अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ परन्तु उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई जबाब, साक्ष्य सबूत आदि भी पेश नहीं किये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत होने का कथन करते हुऐ राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम पांचोड़ी के खसरा नम्बर 753 रकबा 0.00.15 बीघा किस्म गैर मुमकिन सडक की भूमि पर ढ़ाबा लोहे के टीन, व पत्थर का किचन स्टेण्ड बनाकर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक पाचौड़ी से जॉच शुदा रिपोर्ट दिनांक 07.12.2017 पटवारी पांचोड़ी द्वारा तहसीलदार खींवसर के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा मुकदमा संख्या–311/2017 सरकार बनाम श्रवणराम वगैरह दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया, उक्त नोटिस पर अपीलान्ट द्वारा तामील की गई है, जिस पर अपीलान्ट का पिता पेमाराम न्यायालय में उपस्थित हुआ परन्तु बावजूद तामील के अपीलान्ट अथवा उसके पिता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब, साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये गये है।

पूर्व में अपीलान्ट के पिता पेमाराम के विरूद्ध प्रकरण संख्या 398/2011 दर्ज किया गया एवं जिसमें खसरा नम्बर 586 गै.मु. सड़क व खसरा नम्बर 588/1159 पटवार घर की भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है, परन्तु वर्तमान प्रकरण संख्या–311/2017 एवं उक्त प्रकरण 398/2011 दोनों प्रकरणों की विवादित भूमि समान ही होने तथा पूर्व के प्रकरण संख्या 398/2011 के संबंध में अपील संख्या 31/2012 पेमाराम बनाम राज. सरकार में राजस्व अपील अधिकारी महोदय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.4.2015 के द्वारा विवादित आराजी के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने व उसमें पारित निर्णय का प्रभाव उक्त निर्णयों पर प्रभावी होना व सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने तक उक्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की कार्यवाही प्रभावी नहीं होगी का निष्कर्ष देते हुए सिविल न्यायालय के फैसले तक निर्णय दिया जाना उचित नहीं मानते हुए अपील में निर्णय पारित किया है, इसलिए भी हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय जैर अपील को अपास्त करने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है।



Scanned by CamScanner

उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि पूर्व का प्रकरण संख्या 398/2011 खसरा नम्बर 586 गै.मु. सड़क व खसरा नम्बर 588/1159 पटवार घर की भूमि पर अतिकमण से संबंधित था तथा वर्तमान प्रकरण संख्या–311/2017 खसरा नम्बर 753 पर अपीलान्ट द्वारा अतिकमण करने से संबंधित है, पटवारी पांचोड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.12.2017 से भी साबित है। इससे स्पष्ट है कि अतिकमण से संबंधित वादग्रस्त भूमि समान नहीं होकर अलग–अलग है। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि पूर्व के संख्या 398/2011 एवं वर्तमान प्रकरण संख्या 311/2017 की वादग्रस्त भूमि समान हो। अपीलान्ट का पिता अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ परन्तु अपीलान्ट अथवा उसके पिता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई जबाब, साक्ष्य सबूत आदि भी पेश नहीं किये है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर

कलक्टर, नागौर



Scanned by CamScanner